Spl 1056/22

न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, उत्पाद पटना सिटी

फतुहाँ थाना काण्ड सं0 863/2022

राज्य बनाम् शिव दास

धारा :– 37 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम : शिव दास

2. उम्र :– 27 वर्ष

3. पिता का नाम :– उमेश दास

4. पता : – रायपुरा ईमली चौक थाना – फतुहाँ, जिला– पटना।

5. गिरफ्तारी की तिथि :–26.11.2022 , समय 08.20 बजे और स्थान थाना परिसर फतुहाँ थाना– फतुहाँ जिला - पटना।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि :– 26.11.2022

26.11.2022

अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मै एतद्द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि वह दिनांक 26.11.2022 को अल्कोहल का उपभोग किया था और स्थान, फतुहाँ चौराहा के पास थाना – फतुहाँ जिला - पटना द्वारा पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है।

उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मै प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा – 37 के अधीन अभियुक्त पर 4000 /– की राशि अर्थदण्ड लगाया जाता है और उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों की कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

लेखापित

विशेष न्यायाधीश–उत्पाद
पटना सिटी।

**बाद में
26.11.2022**

अभियुक्त शिव दास के द्वारा अर्थदण्ड की राशि 4000/रु नजारत पटना सिटी में जमा करने के पश्चात् अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया।

लेखापित

विशेष न्यायाधीश–उत्पाद
पटना सिटी।
26.11.2022

नजारत पटना सिटी का नकद जमा चालान
रसीद सं0 1713 दिनांक 26.11.22
रु0 4000/- प्राप्त कर संलग्न किया।